न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
57 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	08.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री सॉवरिया खटीक पुत्र श्री रामनिवास खटीक एफ.बी.ओ. मैसर्स सॉवरिया खटीक किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास अजमेर रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी केकडी रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक
2—श्री संजीव कुमार जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स घण्टाघर के पास केकडी जिला अजमेर निवासी संजय विला सापणदा रोड पारस कॉलोनी केकडी जिला अजमेर
3—श्री ज्ञानचन्द बंसल पुत्र श्री भॅवर लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स बी.एल. इण्डस्ट्रीज मुक्तिमार्ग नयापुरा कोटा निवासी 62खाई रोड नयापुरा कोटा

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि श्री उत्तम कुमार बंसल।

:—निर्णय—: **दिनांक 08.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.01.2022 को समय 02:45 पी.एम पर मैसर्स सॉवरिया खटीक किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास अजमेर रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहॉ पर श्री सॉवरिया खटीक पुत्र श्री रामनिवास खटीक मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सॉवरिया खटीक ने स्वंय को मैसर्स सॉवरिया खटीक किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास अजमेर रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **हल्दी पावडर उत्तम रजवाडी स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Uttam Rajwadi Spices Agmark Brand)** 500—500 ग्राम के 20 नग पॉली पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सॉवरिया खटीक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सॉवरिया खटीक व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **हल्दी पावडर उत्तम रजवाडी स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Uttam Rajwadi Spices Agmark Brand)** जिसके बैच नं. आरएच–23 एवं पैकिंग की दिनांक 01.12.2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम **हल्दी पावडर उत्तम रजवाडी स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Uttam Rajwadi Spices Agmark Brand)** में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3006 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3006 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री सॉवरिया खटीक मैसर्स सॉवरिया खटीक किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास अजमेर रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स घण्टाघर के पास केकडी जिला अजमेर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/244 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/132/एक्ट/2022/156 दिनांक 19.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **हल्दी पावडर उत्तम रजवाडी स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Uttam Rajwadi Spices Agmark Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वारंटी होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स घण्टाघर के पास केकडी जिला अजमेर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ–साथ बतौर वारन्टी मैसर्स बी.एल. इण्डस्ट्रीज मुक्तिमार्ग नयापुरा कोटा का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

वारंटी व निर्माता होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स बी.एल. इण्डस्ट्रीज मुक्तिमार्ग नयापुरा कोटा को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री उत्तम कुमार बंसल उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हल्दी पावडर उत्तम रजवाडी स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Uttam Rajwadi Spices Agmark Brand)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पावडर उत्तम रजवाडी स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Uttam Rajwadi Spices Agmark Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर शास्ति रूपये 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट